



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-37 / 2019
दिनांक : 04.07.2019

सूचना

विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे प्रत्यक्ष/सांकेतिक रूप में विश्वविद्यालय के नाम/लोगो से सोशल मीडिया अकाउंट/पेज (जैसे-सोशल नेटवर्किंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, फोटो शेयरिंग एवं वीडियो शेयरिंग आदि) चलाते हैं, तो इस प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट/पेज के उपयोगकर्ता का नाम एवं पासवर्ड दिनांक 22/07/2019 तक लीला विभाग में जमा करा दें। विश्वविद्यालय की सकारात्मक छवि के दृष्टिकोण से उपर्युक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट को भारत सरकार के साइबर क्राइम कार्यालय को परीक्षण हेतु पत्र भेजा जाना है।

उक्त सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत प्रसारित की जा रही है।

(कुलसचिव)

प्रति :

सभी संबंधित (ईमेल द्वारा)

प्रति :

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. वित्त अधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली